डा0 भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय, आगरा

(पूर्ववर्तीः आगरा विश्वविद्यालय, आगरा)

संख्याःसम्बद्धन/ 4115 (528) /2017

दिनांक 26 SEP 2017

सेवा में,

सचिव/प्राचार्य

ओमवीर सिंह सियाराम महाविद्यालय, नगला–धर्मा, फिरोजाबाद

विषयः– ओमवीर सिंह सियाराम महाविद्यालय, नगला–धर्मा, फिरोजाबाद को कला एवं विज्ञान संकायान्तर्गत स्नातक स्तर पर बी0ए0 एवं बी0एससी0 (बायो/मैथ) पाठ्यक्रमों मे सम्बद्धता की अनुमति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक विश्वविद्यालय के पत्र संख्या–एफिल/वी0सी0/2315 दिनांक 07.10.2014 के द्वारा **ओमवीर सिंह सियाराम महाविद्यालय, नगला–धर्मा, फिरोजाबाद** को **कला एवं विज्ञान** संकायान्तर्गत स्नातक स्तर पर बी0ए0 एवं बी0एससी0 (बायो/मैथ) पाठ्यक्रमों में स्ववित्त पोषित योजनान्तर्गत 01.07.2014 से आगामी तीन वर्ष हेतु सम्बद्धता की स्वीकृति प्रदान की गयी थी।

उपर्युक्त विषयक उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 (यथा संशोधित उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) अधिनियम 2014) (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 14 सन् 2014) की धारा 37(2) के परन्तुक के अधीन कुलपति महोदय के आदेशानुसार **ओमवीर सिंह सियाराम महाविद्यालय, नगला–धर्मा, फिरोजाबाद** को कला एवं विज्ञान संकायान्तर्गत स्नातक स्तर पर बी0ए0 एवं बी0एससी0 (बायो/मैथ) पाठ्यक्रमों में स्ववित्त पोषित योजनान्तर्गत उपर्युक्त शासनादेश में (प्रपत्र बी) में अंकित कमियों को पूरा किये जाने की शर्तों के अधीन यह सम्बद्धता विस्तारण बी0ए0 एवं बी0एससी0 (बायो/मैथ) पाठ्यक्रमों में (सत्र 2017–18) दिनांक 01.07.2017 से 30.06.2018 तक (एक वर्ष) के लिये निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रभावी होगी :–

1. वेतन भुगतान का प्रमाण एवं शिक्षक मानकानुसार नही हैं

(1) महाविद्यालय यह सुनिश्चित कर लें कि उक्त कमियों के साथ–साथ दिनांक 30.06.2018 तक सम्बद्धता सम्बन्धी सभी मानक पूर्ण हो।

(2) महाविद्यालय द्वारा उ0प्र0 राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश, 2003 द्वारा मूल अधिनियम, 1973 की धारा–37(2) में प्राविधानित परन्तुक के अनुसार सम्बद्धता प्राप्ति की तिथि से तीन माह की अवधि में सभी निर्धारित मानकों को पूर्ण कर लिया जायेगा तथा मानक पूर्ण कर सम्बद्धता विभाग में पत्रजात जमा करायें अन्यथा अगले शैक्षणिक वर्ष में छात्रों का प्रवेश प्रतिबन्धित रहेगा तथा विश्वविद्यालय द्वारा जारी सम्बद्धता आदेश निरस्त कर दिया जायेगा। इसी कम में रिट याचिका संख्या 61859/2012 में पारित आदेश दिनांक 20.12.2012 के अनुपालन हेतु मानकानुसार शिक्षकों के अनुमोदन/नियुक्ति के संबंध में निर्गत शासनादेश संख्या 522/सत्तर–2–2013–2(650)/2012 दिनांक 30 अप्रैल 2013 का अनुपालन महाविद्यालय शैक्षिक सत्र प्रारम्भ होने के साथ सुनिश्चित कराया जायेगा।

(3) **महाविद्यालय द्वारा परीक्षाओं की सुचिता बनाये रखने हेतु परिसर के परीक्षा कक्षों तथा परीक्षा नियंन्त्रक कक्ष में सी0सी0टी0वी0 कैमरे लगवाने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाये। साथ ही सी0सी0टी0वी0 कैमरे लगने का प्रमाण विश्वविद्यालय में प्रेषित किया जाये।**

(4) महाविद्यालय द्वारा निरीक्षण आख्या एवं पत्र में इंगित कमियों तथा शिक्षक/प्राचार्य एवं प्रबन्ध समिति के अनुमोदन की प्रकिया तीन माह में पूर्ण कर ली जाये अन्यथा की स्थिति में सम्बद्धता स्वतः समाप्त समझी जायेगी व अगले शैक्षणिक सत्र में छात्रों का प्रवेश प्रतिबन्धित रहेगा।

(5) यदि महाविद्यालय द्वारा विश्वविद्यालय की परिनियमावली/अधिनियम में वर्णित प्रावधानों/उपबन्धों तथा शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तो एवं मानको की पूर्णता तथा उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नहीं किया जायेगा तो उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 के प्रावधानों के अन्तर्गत महाविद्यालय को प्रदान की गई सम्बद्धता वापस लिये जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।

(6) संस्थान/महाविद्यालय सम्बद्धता आदेश में इंगित कमियों की पूर्ति कर लेगा एवं विश्वविद्यालय के कुलसचिव को इस आशय का प्रमाण पत्र प्रतिवर्ष प्रेषित करेगा कि संस्थान/महाविद्यालय सम्बद्धता की शर्ते निरन्तर पूरी कर रहा है।

(7) महाविद्यालय शासनादेश संख्या 2851/सत्तर–2–2003–16(92)/2002 दिनांक 02 जुलाई, 2003 में उल्लिखित सुसंगत दिशानिर्देशों एवं इस विषय में समय–समय पर निर्गत अन्य सुसंगत शासनादेशों का पालन करेगा।

(8) महाविद्यालय शासनादेश संख्या–2218/सत्तर–2–2011–16(409)/2010 दिनांक 23 अगस्त, 2011 का अनुपालन सुनिश्चित कराया जायेगा।

(9) महाविद्यालय को सम्बद्धता प्रबन्धतंत्र द्वारा प्रस्तुत प्रमाणित अभिलेखों के आधार पर प्रदान की जा रही है। यदि किसी स्तर पर पाया जाता है कि सम्बन्धित अभिलेख/सूचना कूटरचित, असत्य थी एवं ऐसा कोई तथ्य छिपाया गया हो जिससे कि महाविद्यालय को सम्बद्धता नहीं दी जा सकती थी, तो प्राप्त सम्बद्धता निरस्त करने की कार्यवाई की जायेगी जिसका पूरा उत्तरदायित्व कालेज प्रबन्धतंत्र का होगा।

(10) संस्था का संचालन व्यावसायिक आधार पर नहीं किया जायेगा एवं संस्था विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित प्रवेश क्षमता से अधिक प्रवेश कदापि नहीं करेगी तथा विद्यार्थियों से शासन/विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शिक्षण व अन्य शुल्क ही प्राप्त करेगी।

(11) संस्था परिसर को रैंगिग मुक्त रखेगी एवं महाविद्यालय 180 शिक्षण दिवस पूर्ण करेगा।

(12) महाविद्यालय आल इण्डिया सर्वे ऑफ हॉयर ऐजूकेशन(ए0आई0एस0एच0ई0) से जोड़ने हेतु प्रत्येक सत्र में डी0सी0एफ0 –।। पूर्ण कर विश्वविद्यालय को प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेंगे।

यह सम्बद्धता कार्य परिषद् की अनुमति की प्रत्याशा में जारी की जा रही हैं।

भवदीय

कुलसचिव

प्रतिलिपिः–

1. प्रमुख सचिव उच्च शिक्षा, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
2. निदेशक उच्च शिक्षा उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
3. वित्त अधिकारी, डा0 बी0आर0 अम्बेडकर विश्वविद्यालय, आगरा।
4. क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, आगरा एवं अलीगढ़ मंडल।
5. **सचिव/प्रबन्धक, ओमवीर सिंह सियाराम महाविद्यालय, नगला–धर्मा, फिरोजाबाद**
6. अपर सचिव उच्च शिक्षा परिषद इंदिरा भवन लखनऊ को विभागीय वेबसाइट पर प्रर्दशन हेतु।
7. वेबसाईट प्रभारी डा0 बी0आर0 अम्बेडकर विश्वविद्यालय, आगरा को वेबसाइट पर प्रदर्शित करने हेतु।
8. उप/सहायक कुलसचिव/सम्बद्धन/परीक्षा।
9. अधीक्षक सम्बद्धन विभाग।
10. अधीक्षक कुलपति सचिवालय।

कुलसचिव